न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मनसुख राम डामोर, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **13/24 (वि.प्रा.पत्र)**

GCMS No : 2024/66

1. श्री सीताराम पिता ठन्डुराम मीणा निवासी समरा उपली निजरा, थानागाजी अलवर जिला अलवर।

............प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घासा तह. घासा।
2. पटवारी, पटवार हल्का विजनवास तह. घासा।

...............विपक्षीगण

उपस्थित—1. श्री दिनेश डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: निर्णय :—

दिनांक : 09.05.2024

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा विकरणी पटवार हल्का विजनवास तहसील घासा के खाता संख्या नया 269 पुराना 247 की आराजी नम्बर 1586/427 रकबा 0.3237 हेक्टेयर भूमि है, जिसका उपयोग उपभोग मुझ प्रार्थी अपने परिवारजनों के सहित किया जा रहा हैं। उक्त वर्णित आराजीयात में आने जाने एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने का एक रास्ता किस्म बिलानाम भूमि में स्थित है जिसके आराजी नम्बर 1743/427 में 30 फीट रास्ता से होकर आते जाते रहे है, उक्त 30 फीट रास्ते का उपयोग उपभोग अपने परिवारजनों के सहित करते चले आ रहा हूं, लेकिन उक्त रास्ता नकल जमाबन्दी एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है। जिस कारण मुझ प्रार्थी को अपनी आराजीयात का उपयोग उपभोग करने में मैं प्रार्थी असहज महसुस करता हूं।
2. यह कि बिलानाम भूमि में उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में नहीं होने की वजह से उक्त भूमि को संपरिवर्तन करवाने एवं विकसित करने, आवादान करने में मुझ प्रार्थी को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है, इसलिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.05.28 16:46:03 IST
Reason: SelfAttested

किस्म बिलानाम रास्ते का अंकन जमाबन्दी में किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।

3. यह कि मुझ प्रार्थी की खातेदारी में आने जाने एवं कृषि यंत्र लाने हेतु इसके अलावा अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है जिससे होकर मैं अपनी कृषि भूमि का उपयोग उपभोग कर सकु। अतः मुझ प्रार्थी द्वारा उपयोग में लिये जा रहे उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाया जाना न्यायोचित् एवं आवश्यक हैं। उक्त रास्ते की भूमि हेतु न्यायालय द्वारा आदेशित निर्धारित राशि या डी.एल.सी. राशि जमा करवाने हेतु प्रार्थी तैयार हैं।

4. अंत में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा विकरणी पटवार हल्का विजनवास तहसील घासा जिला उदयपुर में स्थित आराजी नम्बर 1586/427 में आने–जाने हेतु आराजी नम्बर 1743/427 में 30 फीट रास्ते का अंकन राजस्व रेकार्ड एवं जमाबन्दी में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावें। उक्त रास्ते की भूमि हेतु न्यायालय द्वारा आदेशित निर्धारित राशि या डी. एल.सी. राशि जमा करवाने का प्रार्थी तैयार हैं।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार घासा द्वारा बिन्दूवार रिपोर्ट पेश की गई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मौजा विकरणी पटवार हल्का विजनवास की आराजी नम्बर संख्या 1586/427 रकबा 0.3237 हैक्टर किस्म पहाड़ होकर खातेदार श्री सीताराम पिता ठण्डुराम मीणा सा. समरा, उपली निझरा, थानागाजी अलवर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि पर आने–जाने हेतु न्युनतम दूरी का रास्ता आराजी नम्बर 1743/427 किस्म बिलानाम भूमि में से रहेगा, इसके अलावा अन्य कोई न्यूनतम दूरी का वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 101 मीटर व 8 मीटर चौड़ा होकर रकबा 0.0808 हैक्टर भूमि है। प्रस्तावित भूमि की डीएलसी दर 758839 रूपये प्रति हैक्टर है। जिसमें प्रस्तावित रास्ते की कीमत 61315 रूपये है। तहसीलदार मावली हाल घासा द्वारा रिपोर्ट के साथ भू–अभिलेख निरीक्षक खेमली एवं पटवारी हल्का विजनवास मय मौका पर्चा, नक्शा ट्रेस तथा जमाबन्दी नकल प्रस्तुत की गई।

6. हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए राजपेरोकार तहसीलदार मावली हाल घासा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया जाने पर सहमति व्यक्त की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.05.28 16:46:03 IST
Reason: SelfAttested

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। न्यायालय का निष्कर्ष है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए अनुसार नवीन रास्ता स्वीकृत करने से पहले यह समाधान होना आवश्यक है कि प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है साथ ही नवीन रास्ता निकालने/चौड़ा करने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) होनी चाहिये, न कि केवल सुविधाजनक स्थिति के लिये और द्वितीय यह कि विशेषकर नवीन रास्ते के प्रकरण में वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम विकरणी पटवार हल्का विजनवास तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 269 पर दर्ज आराजी नम्बर 1586/427 रकबा 0.3237 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज है। उक्त भूमि बिलानाम आराजी नम्बर 1743/427 रकबा 7.8808 हेक्टेयर के मध्य दर्ज है तत्पश्चात् बिलानाम आराजी नम्बर 1743/427 रकबा 7.8808 हैक्टेयर भूमि के सटमा बिलानाम आराजी नम्बर 1741/427 रकबा 0.6092 हेक्टेयर किस्म रास्ता दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी को अपनी आराजीयात पर जाने के लिए कोई और रास्ता नही होकर सहज एवं सुलभ रास्ता बिलानाम आराजी नम्बर 1741/427 रकबा 0.6092 हेक्टेयर किस्म रास्ता में से होकर बिलानाम आराजी नम्बर 1743/427 में से जाता है। तहसीलदार मावली हाल घासा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थी उक्त रास्ते की नियमानुसार राशि प्रदान कर रास्ता कायम करवाना चाहता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता चाहने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) प्रतीत होती है। चुंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग क्रमांक प. 13(52)राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के अनुसार यदि आवेदक को मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है तो उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों का दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.05.28 16:46:03 IST
Reason: SelfAttested

:: आदेश ::

8. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिए जाते है कि ग्राम विकरणी पटवार हल्का विजनवास तहसील घासा की नकल जमाबंदी संवत 2077-80 पर दर्ज बिलानाम आराजी नम्बर 1743/427 रकबा 7.8808 हैक्टेयर में से 0.0808 हैक्टेयर भूमि जो संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शायी गई है को बिलानाम गै.मु. रास्ता घोषित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार घासा को आदेश दिए जाते है कि उक्त रास्ते हेतु प्रयुक्त भूमि की कुल कीमत 61,315/- का दुगुना 1,22,630/- रूपयें एक लाख बाईस हजार छः सौ तीस रूपयें राशि प्रार्थी से वसूल कर नियमानुसार राजकोष में जमा करवाई जावे। उक्त राशि राजकोष में जमा कराने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2024 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.05.28 16:46:03 IST
Reason: SelfAttested